पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र



भारत सरकार

Government of India

खान मंत्रालय

Ministry of Mines

भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ21011

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura Industrial Area अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक : 09.11.2020

संख्या : RAJ/PAL-46/LST-4

NOTE TO LETTING TO LET

प्रेषित : श्री रवि दुसाद, एजेंट,

पाली( मोहराई डागला) चूना पत्थर खान,

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, सेकंड फ्लोर,

सिद्धि विनायक काम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, ब्यावर

जिला-अजमेर (राजस्थान)

Email- ravi.dusad@adityabirla.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Pali(Mohrai Dagla) Limestone Mine (M.L. No. 29/99, Lease area 689.76 Hect.) in Pali District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 05.10.2020 & 06.10.2020 by the undersigned in presence of Shri Deeapk Kr. Sharma, Mines Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 03.12.2019): -  (i) During the year 2019-20 exploration was proposed by drilling of 52 bore holes (2600m) but during this year drilling of 48 bore holes (2424m) has been carried out. It shows the shortfall in exploration drilling.
	(ii) During the year 2019-20 plantation has not been carried out on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> ( डी. आर. गुर्फीर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 खनि अभियंता, खान एवं भविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला -पाली, राजस्थान।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो